Economic Times पेज 1

5.2.14

इलेक्शन इफेक्ट: दिल्ली सरकार ने समय-सीमा 6 महीने बढ़ाई

फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने की डेडलाइन बढ़ी

| प्रमोद राय | नई दिल्ली |

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस लेने से छूट की मियाद एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अभी इस बारे में नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार ने लाखों कारोबारियों को कम से कम छह महीने की मोहलत देने का फैसला कर लिया है। लाइसेंस लेने के लिए डेडलाइन 4 फरवरी थी। इसे देखते हुए रेस्टोरेंट, होटल, डेयरी प्रॉडक्ट व मिल्क वेंडर्स, कैंटीन, कैटरर, फूड प्रोसेसर्स, टी स्टॉल, ढाबा सहित सभी तरह के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स में बेचैनी थी।

नए कानून के मुताबिक, 12 लाख रुपये से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को लाइसेंस लेना है, जबकि इससे कम इनकम वालों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है। लाइसेंस फीस बिजनेस कैटेगरी के मुताबिक 2000 से 7500 रुपये है। एक अनुमान के अनुसार, 80 फीसदी से ज्यादा कारोबारी फूड सेफ्टी एक्ट के कड़े नॉर्म्स पर खरे नहीं उतर सकते। बमुश्किल 10 पर्सेंट कारोबारियों के पास फूड लाइसेंस है।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) के एक अधिकारी ने बताया, 'फिलहाल डेडलाइन छह महीने के लिए बढ़ाई जा रही है। इस बारे में आधिकारिक ऐलान जल्द होगा। कई ट्रेडर्स, होटेलियर्स और छोटे बिजनेस ऑपरेटर्स की कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएं हैं। इसके अलावा, ज्यादातर राज्यों में रजिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया है।' दूसरी ओर, जानकार बताते हैं कि आम चुनावों की दहलीज पर कारोबारियों में नए कानून को लेकर खौफ सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। अथॉरिटी ने सोमवार रात तक इस बारे में पत्ते नहीं खोले थे और कह रही थी कि अब और मोहलत नहीं मिलेगी, लेकिन बताया जाता है कि मंगलवार सुबह मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद डेडलाइन बढ़ाने पर मुहर लगा दी गई। फूड सेफ्टी एक्ट का विरोध कर रहे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट बी. सी. भरतिया और जनरल सेक्रेट्री प्रवीण खंडेलवाल ने उम्मीद जताई कि छूट की मियाद कम से कम एक साल तक बढ़ेगी। उन्होंने कहा, 'सिर्फ बिजनेस ऑपरेटर ही नहीं, सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में तो रजिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं हुए हैं। आधे से ज्यादा फूड ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं।'